

अधिसूचना

जैसाकि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विद्यमान कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के कय-विकय के नियमन हेतु निजी गौण मण्डी प्रांगण धोषित करने का निर्णय लिया है।

अतः अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरण के स्तम्भ 2 में वर्णित कृषि उपज मण्डी समितियों से संबन्धित मण्डी क्षेत्र में स्तम्भ 3 में वर्णित व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की धोषणा करती है, जिसकी सीमाओं का विवरण स्तम्भ 4 के अनुसार होगा:-

क्र.स.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	गौण मण्डी प्रांगण प्रबन्धक व्यक्ति का विवरण	निजी गौण मण्डी प्रांगण की सीमा
1	2	3	4
1.	मेडतासिटी	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. मेडतासिटी	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. मेडतासिटी द्वारा प्रबन्धित संरचना एवं अहाता
2.	कोटा (अनाज)	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. कोटा	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. कोटा द्वारा प्रबन्धित संरचना एवं अहाता
3.	गंगापुरसिटी	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. गंगापुरसिटी	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. गंगापुरसिटी द्वारा प्रबन्धित संरचना एवं अहाता
4.	बीकानेर (अनाज)	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. बीकानेर	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति लि. बीकानेर द्वारा प्रबन्धित संरचना एवं अहाता

राज्य सरकार धोषणा करती है कि उक्त निजी गौण मण्डी प्रांगणों का उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 एवं धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 से परिभाषित मार्केट प्रोपर नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd-
(लाल चन्द गुर्जर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी), मा. मुख्यमंत्री महोदय (कृषि विपणन मंत्री महोदय), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग।
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
7. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर/राजसमन्द/जैसलमेर।
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि./ कय विकय सहकारी समिति.....।
9. रक्षित पत्रावली।

sd-
20/4/20
उपशासन सचिव